समाचार-प्रकाषनार्थः-

कस्तुरबा नगर टंकी से होगी ऐतिहासिक शुरूआत

विधायक मा0 श्री काश्यप करेंगे नियमित जल वितरण का शुभारंभ

रतलाम 13 दिसंबर । विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे कस्तुरबा नगर टंकी से क्षेत्रवासियों को नियमित जल वितरण का शुभारंभ करेंगें। नगर निगम द्वारा इसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दो दिनों से क्षेत्र में नियमित जल वितरण की टेस्टिंग की जा रही थीए जो सफल रही।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने अक्टूबर माह के दौरान थावरिया बाजार टंकी के लोकार्पण समारोह में नगर निगम को शहर में फिर से नियमित जल वितरण की शुरूवात करने का लक्ष्य दिया था। निगम द्वारा इस पर लगातार कार्य कर पाइप लाइन के लिकेज सुधारे गए और अन्य तकनीकी तैयारियां पूरी कर प्रायोगिक रूप से पहले कस्तुरबा नगर टंकी से नियमित जल वितरण का निर्णय लिया गया हैं। इसके बाद शहर में स्थित अन्य टंकियों से नियमित जल वितरण आरंभ होगा और पूरे शहर में रोज पानी दिया जाएगा।

गौरतलब है कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में शहर में नियमित जल वितरण आरंभ कराने का संकल्प व्यक्त किया था। सोमवार से यह संकल्प पूरा होने जा रहा है। कस्तुरबा नगर टंकी के बाद नगर निगम द्वारा दीनदयाल नगर टंकी से नियमित जल वितरण आरंभ किया जाएगा। इससे शहर के चार वार्डों के 15 हजार से ज्यादा रहवासियों को रोज पानी मिलेगा। विधायक श्री काश्यप के निर्देशानुसार बाद में नगर निगम द्वारा सभी क्षेत्रों में नियमित जल वितरण की शुरुवात की जाएगी। एक सप्ताह में इस व्यवस्था की समीक्षा कर धीरे-धीरे पूरे शहर को नियमित पानी देने की योजना पर होगा ।

प्रारंभ में कस्तूरबा नगर टंकी से क्षेत्र को दो जोन में बांटकर नियमित जल वितरण होगा। जोन एक में कस्तूरबा नगर गली नं. 8ए मनीष नगरए मोहन नगर टॉवर वाली रोडए मोहन नगर 27 ब्लॉकए टेलीफोन नगरए भगत सिंह नगरए रंजीत नगरए सुंदरवन कॉलोनी आदि शामिल रहेंगेए जबकि जोन दो में कस्तूरबा नगर गली नं. 1 से 7ए कस्तूरबा नगर मुख्य मार्गए राम मंदिर से सज्जन मिल गेट तक की कस्तूरबा नगर तरफ वाली पट्टीए एमबी नगरए सेंट्रल प्लाजाए पदम श्री वाली रोडए सज्जन मिल चालए कल्पतरू कॉलोनीए शक्ति नगरए प्रियदर्शनी नगरए आदर्श नगरए राजू नगरए बसंत विहारए सज्जन मिल गेट के अंदर जल वितरण होगा।

होमगार्ड कालोनी में बनेगा नवीन सांस्कृतिक भवन

विधायक मा0 श्री काश्यप ने किया कार्य का भूमि पूजन

रतलाम 13 दिसम्बर। पुराने समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हेतु धर्मशालाऐं हुआ करती थी किन्तु वर्तमान समय में

धर्मशालाओं का अभाव होने सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे नागरिकों को सुविधा हो।
उक्त उद्गार विधायक रतालम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने होमगार्ड कालोनी में पुराने सम्वेल की भूमि पर विधायक निधी से निर्मित किये जाने वाले सांस्कृति भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। उन्होने कहा कि जैसे-जैसे नगर का विस्तार होता है वैसे-वैसे नगर में विकास कार्य कराये जाने की संभावनाऐं बढ़ती जाती है। वर्तमान समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के छोटे-मोटे सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानी उठाना पड़ती है उनकी परेशानियों निदान हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि वे सुविधा पूर्वक अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें।
उन्होने कहा कि होमगार्ड कालोनी के सांस्कृतिक भवन हेतु 1 बड़ा हॉलए 2 कमरे निर्माण काराये जाने की कार्ययोजना थी किन्तु नागरिकों को सर्वसुविधा युक्त सांस्कृतिक भवन मिले इस हेतु भोजन निर्माण हेतु एक शेड का भी निर्माण कराया जायेगा।
भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल ने कहा कि होमगार्ड कालोनी में 25 लाख की राशि से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है इससे पूर्व नगर के विभिन्न स्थानों पर 4 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। होमगार्ड कालोनी के बाद डोसीगांव व बिरियाखेड़ी सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जायेगा।
प्रारंभ में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यपए भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवालए पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवालए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ट की प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारियाए मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री कृष्ण कुमार सोनीए नीलेश गांधीए मयूर पूरोहित आदि का स्वागत पूर्व पार्षद श्रीमती सुशीला परमार द्वारा पुष्प गुच्छ से किया गया। उद्बोधन पश्चात नवीन सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन विधिवत् पूजा अर्चना कर किया गया।
भूमि पूजन के अवसर पर सर्वश्री महेश अग्रवालए मणीलाल जैनए मनसुखलाल मालीए मुबारिक शैरानीए बंटी वोराए राधेश्याम मारूए राजू मईड़ाए कन्हैयालाल मालवीयए मनोजए निलेश रावए दिनेश जैनए इब्राहिम शैरानीए नीरज परमारए राकेश परमारए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए श्री विकास मरकाम सहित क्षेत्रिय नागरिक उपस्थित थे।
कार्यक्रम का संचालन श्री राकेश परमार ने किया व आभार श्री नीरज परमार ने माना।

स्वच्छता ही स्वस्थ्य जीवन का प्रतीक है
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश
रतलाम 13 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का प्रतीक हैए सभी लोगो का यह दायित्व है कि वह अपने जीवन में स्वच्छता

को अपनाते हुए स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि लोगो का यह भी कर्तव्य है कि अपने आस पास के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें और गन्दगी न फैलने दे तथा कूड़ा कूड़े दान में ही डाले। स्वच्छता को बढ़ावा देकर जहां बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है**ए** वहीं**ए** लोगों के जीवन को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। समाज से जुड़े होने के नाते सभी की यह जिम्मेदारी है कि वे स्वयं स्वच्छता को अपनाएं तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान**ए** मेरी शान**ए** स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-**1** बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान रविवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-**19** महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग**ए** दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे **4** डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम **13** दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम **2016** के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु **4**

डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री**ए** फल-सब्जी के छिलके**ए** घांस व पेड़ की पत्तियां**ए** राख**ए** चाय पत्ती**ए** बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन**ए** सूखा कचरा अर्थात पुस्टा**ए** अखबार**ए** लोहा**ए** कपड़ा**ए** शाल**ए** कांच**ए** पैकिंग मटेरियल**ए** टुटे खिलौने**ए** प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन**ए** घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे**ए** पेस्टीसाइड के डिब्बे**ए** सीएफएल**ए** ट्यूबलाईट**ए** थर्मामीटर**ए** बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन**ए** डायपर**ए** सुई**ए** सिंरिज**ए** मास्क**ए** ग्लब्स**ए** पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर **5000.5000** हजार का जुर्माना करेगी।

महावीर नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने **37ए05ए253**६. संपत्तिकर व **10ए13ए125**६. जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम **13** दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-**19**द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गिरावट**ए** सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में **31** दिसम्बर **2020** तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर **26** अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो **30** दिसम्बर तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी किराया**ए** लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६. की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षिविरों मेेंं 37ए81ए253६. संपत्तिकर व 10ए37ए725६. जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड

में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।
कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये **50ए000६.** ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **100** प्रतिशत की छूट**ए** संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये **50ए000६.** ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये **1ए00ए000६.** ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **50** प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये **1ए00ए000६.** ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **25** प्रतिषत की छूट दी जा रही है।
इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये **10ए000६.** ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर **100** प्रतिशत की छूट**ए** जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये **10ए000६.** ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये **50ए000६.** ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **75** प्रतिषत की छूट**ए** जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये **50ए000६.** ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **50** प्रतिषत की छूट दी जा रही है।
इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये **20ए000६.** ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **100** प्रतिषत की छूट**ए** अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये **20ए000६.** ;बीस हजार) से **50ए000६.** ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **50** प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये **50ए000६.** ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **25** प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज**ए** स्टॉप ड्यूटी**ए** मूल कर**ए** मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर**ए** जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**13ण्12ण्2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.